## न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

फीज.प्र.क. : 741 / 2014 संस्थित दि: 20 / 08 / 14

## विरुद्ध

- रिवकुमार पिता मदनलाल, उम्र 20 साल, जाति नाई,
   सािकन बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2. सागर पिता कृष्णकुमार मिश्रा, उम्र 24 साल, जाति ब्राम्हण, साकिन भौरगड़ थाना रामपायली, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3. राकेश पिता देवनाथ यादव, उम्र 24 साल, जाति अहीर, साकिन बंजरीटोला थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- राजेश पिता केदारनाथ, उम्र 32 साल, जाति कलार, साकिन बिरसा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- अनीशखान पिता जमीरखान, उम्र 24 साल, जाति मुसलमान साकिन बिरसा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अारोपीगण

## —<u>ःः निर्णय ःः</u>— (आज दिनांक 20/08/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपीगण पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी रिवकुमार दिनांक 15/07/14 को समय 16:10 बजे, ग्राम मरारीटोला नगरपालिका गेट के पास मेन रोड, थाना बिरसा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में आई.बी. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 3120/—रूपये एवं आरोपी अनीशखान बी.पी. के 18 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 2160/—रूपये व आरोपी राकेश 48 क्वाटर गोवा की अंग्रेजी शराब कीमती 3360/—रूपये तथा आरोपी राजेश आर.एस. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 3600/—रूपये व आरोपी सागर 18 नग बियर बास्को कीमती 2160/—रूपये की शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाये गये।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रवीण कुमरे

<u> फौज.प्र.क. : 741 / 2014</u>

उपनिरीक्षक थाना बिरसा को दिनांक 15.07.2014 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बुलेरो वाहन कमांक एम.पी.20 / बी.ए.2051 में कुछ लोग शराब रखकर सालेटेकरी की ओर जा रहे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप और राहगीर पंचाग परसराम और लोचनसिंह को सूचना से अवगत कराया और बुलेरों वाहन को रोका और जांच करने पर रिकुमार की शीट के नीचे कार्टून में अंग्रेजी शराब के 24 क्वाटर, सागर की शीट के नीचे चेक करने पर वास्को बियर 18 नग, राकेश की शीट के नीचे एक कार्टून में अंग्रेजी शराब के 48 क्वाटर वाहन की पीछे की शीट पर राजेश की शीट के नीचे एक कार्टून में अंग्रेजी शराब के 24 क्वाटर, अनीशखान की शीट के नीचे एक कार्टून में अंग्रेजी शराब के 18 क्वाटर होना पाया था। आरोपीगण से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपीगण ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगण से उक्त शराब एवं बुलेरों वाहन कमांक एम.पी.20 / बी.ए.2051 को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपीगण को गिरफ्तार कर, आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क. 97 / 14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपीगण को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
  - (1) क्या आरोपी रिवकुमार ने दिनांक 15/07/14 को समय 16:10 बजे, ग्राम मरारीटोला नगरपालिका गेट के पास मेन रोड, थाना बिरसा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में आई.बी. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब, कीमती 3120/—रूपये एवं आरोपी अनीशखान बी.पी. के 18 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 2160/—रूपये व आरोपी राकेश 48 क्वाटर गोवा की अंग्रेजी शराब कीमती 3360/—रूपये एवं आरोपी राजेश आर.एस. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 3600/—रूपये, व आरोपी सागर 18 नग बियर बास्को कीमती 2160/—रूपये अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्त अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाये गये ?

## ्रा सकारण निष्कर्ष :--

(05) आरोपीगण को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।

<u>फौज.प्र.क. : 741 / 2014</u>

- आरोपीगण द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की . स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है ।
- अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई (07)अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण को यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- आरोपी रविकुमार, सागर, राकेश, राजेश, अनीशखान को आबकारी (80)अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए क्रमशः 1500/— (एक हजार पांच सौ) रूपये, 1200/— (एक हजार दो सौ) रूपये, 2800/— आठ सों) रूपये, 1500/— (एक हजार पांच सों) रूपये, 1200/— (एक हजार दो सो) रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की संजा से दण्डित किया
- अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकृम में आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भूगताई जावे ।
- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति आई.बी. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब, बी.पी. के 18 क्वाटर अंग्रेजी शराब, 48 क्वाटर गोवा की अंग्रेजी शराब, 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब एवं 18 नग बियर बास्को शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे तथा वाहन बुलेरो कमांक एम.पी.20 / बी.ए.2051 सुपुर्देगी पर है। उक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त हो।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

्नुक्तः
भेरे उद्बोधन पर टां
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,
ाघाट बैहर, जिला बालाघाट